हाईकोर्ट ▶ रिएक्शन के संबंध में जानकारी होने के बाद भी लिखता रहा दूषित कफ सिरप

कफ सिरप मामले में डॉ सोनी सहित चार की जमानत खारिज

जबलपुर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में हुई 30 बच्चो की मौत को गंभीर और संवेदनशील मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने डॉ प्रवीण सोनी,उनकी पत्नी सहित दो अन्य की जमानत आवेदन खारिज कर दिये है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत का लाभ दिया जाता है तो जनता का भरोसा बहुत कम हो जाएगा। कफ सिपर एक्शन के संबंध में जानकारी होने के बावजूद भी डॉक्टर कमीशन लेकर बच्चों को दूषित कफ सिरप प्रिस्क्राइब करता रहा। केन्द्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेषन के बावजूद भी आवेदक ने चार साल से कम बच्चो को फिक्स्ड डोज़ कंपाउंड सिरप दिया गया। सह आरोपियो ने आवेदक डॉक्टर को बचाने के लिए कफ सिरप से जुडे सबूत नष्ट कर दिये।

छिंडवाडा सिरप कांड मामले में गिरफतार डॉ प्रवीण सोनी, उनकी पत्नी ज्योति सोनी सहित दो अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि आवेदक डॉ प्रवीण सोनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर परासिया, जिला छिंदवाड़ा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर पदस्थ थे और विगत 5 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। कफ सिरप को बनाने में उसका कोई रोल नही था। वह विगत 20 साल से यह दवा लिख रहे है। कफ सिरप श्रीसन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने बनाया और बेचा था। उन्हें इस बात की जानकारी नही थी कि उसमें कोई मिलावट की गई है। आवेदक ने जिस समय दवा लिखी थी उस पर कोई रोक नही थी। दवा पर पहली बार 4 अक्टूबर 2025 को रोक लगाई गयी थी। बिना जांच के प्रैक्टिशनर डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार की तरफ से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बताया गया कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंकित सेहलम की शिकायत पर पुलिस ने धारा 105, 276 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27(I) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आवेदक डॉ. प्रवीण सोनी के दिये गये कफ सिरप के कारण बच्चो की किडनी रिएक्शन से फेल हो गयी।एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि डॉ. प्रवीण खापेकर कर चेतावनी के बावजूद भी आवेदक डॉक्टर कफ सिरप लिखता रहा, जिसकी वजह से 4-5 साल से कम उम्र के 26 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई। कथित कफ सिरप ने बड़े पैमाने पर लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया और उन्होने कप सिरप लिखने के लिए कमीशन भी मिला। दूसरे सह-आरोपियों ने मौजूदा आवेदक डॉक्टर को बचाने के लिए कफ सिरप से जुड़े सबूत नष्ट कर दिये। एक सक्षम अधिकारी (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) ने रिपोर्ट दर्ज की है कि आवेदक डॉक्टर ने बच्चों को फिक्स्ड डोज़ कंपाउंड दिया था। जिस पर सरकार के सर्कुलर जारी कर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

मेडिकल छात्र की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा रैगिंग का

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र शिवांश गुप्ता की संदिग्ध मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिवांश के पिता ने याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि रैगिंग और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई मौत का मामला है। मांग की गई कि इस मामले की जांच सीबीआई से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिडिल कॉलेज के वार्डन रविकांत महंत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में गृह सचिव, जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गढ़ा थाने के एसएचओं को भी पक्षकार बनाया गया है।

ननि के कर संग्रहकर्ता को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते दबोचा

टैक्स रसीद में नाम परिवर्तन के एवज में मांगी थी तीन हजार की घूस

नवभारत, जबलपुर। लोकायुक्त टीम ने मंगलवार को नगर निगम जोन क्रमांक-10 रांझी में पदस्थ कर संग्रहकर्ता को तीन हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। आरोपी ने टैक्स रसीद में नाम परिवर्तन के एवज में रिश्वत की मांग की थी।

लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि दीपक कुशवाहा, निवासी रांझी बड़ा पत्थर मानेगांव ने लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी के नाम पर मुंडी टोरिया में

एक नजूल का मकान है। इस मकान की नगर निगम टैक्स रसीद में पुराने धारक के स्थान पर अपनी पत्नी का नाम दर्ज कराने के लिए वे नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। संभागीय कार्यालय नगर निगम जोन-10, रांझी में पदस्थ कर संग्रहकर्ता चन्द्रभान नोनिया (मूल पद ग्राम सचिव) ने इस काम के बदले 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

जाल बिछाया और दबोच लिया

शिकायत सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की योजना बनाई गई। जैसे ही दीपक कुशवाहा ने आरोपी चन्द्रभान नोनिया को उसके घर पर रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 3000 रुपये थमाए, पहले से घेराबंदी कर खड़ी लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में ट्रैप दल की प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाह, निरीक्षक जितेन्द्र यादव, उप निरीक्षक शिशिर पांडेय एवं जबलपुर लोकायुक्त इकाई का अन्य स्टाफ शामिल रहा।

रिकवरी के आदेश पर रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पेंशन से रिकवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी तुलसा की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन व योगेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि चार जनवरी 2021 को एक पत्र जारी कर याचिकाकर्ता के पति स्व. रामदयाल की पेंशन से रिकवरी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। अवगत कराया गया कि पेंशन से कुल दो लाख 51 हजार 861 रुपये की वसूली होनी है, इस पर ब्याज भी लगेगा। मामले में कहा गया कि आवेदिका को कटौती के बाद मिलने वाली रकम से परिवार का पोषण संभव नहीं होगा। इसलिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी।

नवभारत की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं

नाइस होम एसोसिएट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी यमेश चौधरी का कहना है कि जबलपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में हैं असीम संभावनाएं

रोजगार देने वाला बनना है... इसी सोच ने हमेशा किया प्रेरित, चढ़ता गया सफलता की सीढ़ियां

जबलपुर एक रियल एस्टेट हब बन सकता है, लेकिन विकास के साथ-साथ हमें प्रकृति का भी संरक्षण करना होगा। यह कहना है नाइस होम एसोसिएट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी यमेश चौधरी का, उन्होंने ईमानदारी, मेहनत और पर्यावरण-प्रेम के बल पर शहर को नई दिशा देने का संकल्प लिए हुए हैं। यमेश चौधरी का मानना है कि रियल एस्टेट केवल जमीन और मकान बेचने का काम नहीं, बल्कि कस्टमर से जुड़ाव और बेहतर सर्विस देने का माध्यम भी है। इसी सोच के साथ उन्होंने नाइस होम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है।

20 हजार रुपए और 3 कंप्यूटर से हुई शुरुआत ▪ यमेश चौधरी बताते हैं कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वे नौकरी करें, लेकिन उनका सपना नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना था। पूंजी की कमी के बावजूद उन्होंने वर्ष 2000 में 20 हजार रुपए 5 प्रतिशत ब्याज पर उधार लेकर, तीन पुराने कंप्यूटर खरीदे और किराए की छोटी-सी दुकान से नाइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। लगातार मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस सफर में उनके माता-पिता का सहयोग एवं आशीर्वाद, उनके भाई कृष्णा चौधरी, उनकी पत्नी वंदना चौधरी और पुत्र ऋषभ व रक्षित चौधरी उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा एवं सहयोगी रहे।

रियल एस्टेट में लाया नया कॉन्सेप्ट

व्यवसाय में ग्रोथ के साथ यमेश चौधरी ने प्रॉपर्टी में निवेश शुरु किया और यहीं से उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। वर्ष 2011 में उन्होंने रियल एस्टेट में नया कॉन्सेप्ट पेश किया। बिल्डर्स के साथ एग्रीमेंट कर मार्केटिंग राइट्स लिए, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रमोशन से लेकर बिक्री तक की पूरी जिम्मेदारी नाइस होम निभाता है। उन्होंने फ्रेशर युवाओं को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण दिया और अब तक 500 से अधिक युवाओं को रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा है जो जबलपुर,मध्यप्रदेश के साथ पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं।

मकसद: कस्टमर रिलेशन को मजबूत करना ▪ यमेश चौधरी का मानना है कि रियल एस्टेट में सफल होने के लिए कस्टमर को बेहतर सर्विस और मजबूत रिलेशन देना जरुरी है। नाइस होम इसी उद्देश्य से आकर्षक ऑफर्स, नियमित फीडबैक और आफ्टर-सेल्स सर्विस पर विशेष ध्यान देता है।

समाज सेवा में भी अग्रणी ▪ व्यवसाय के साथ-साथ यमेश चौधरी समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। वे अब तक 300 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर चुके हैं, जो उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बुद्धा नेचर: प्रकृति के बीच नया अनुभव

यमेश चौधरी का नया प्रोजेक्ट बुद्धा नेचर, देवरी बरेला में शुरु हुआ है, जो शहर के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इस प्रोजेक्ट में नेचर के बीच 35 रिसोर्ट, जहां बुद्धा टेम्पल, हिल और जंगल व्यू, लेक व्यू, नेचुरल झरना और चारों ओर हरियाली देखने को मिलेगी। यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त क्षेत्र होगा। यहां बुद्धा मेडिटेशन और पंचकर्मा की विशेष व्यवस्था रहेगी, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। खास बात यह है कि जयपुर से भव्य बुद्ध भगवान की प्रतिमा लाई जा रही है। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट की लगभग 10 फ्रेंचाइजी विकसित करने की योजना है।

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Hero GoodLife Stand a chance to win Gold and Silver Coins and many more assured benefits*

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ~Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts. $Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs, Available at select dealerships. ^T&C apply, Offer available only on limited stores. *Limited period offer, T&C apply. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. #Ex-showroom price of HF Deluxe Self in Madhya Pradesh.

TOLL FREE 1800 266 0018

अधिकृत डीलरः जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोहः इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलरः पथरियाः एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांडुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरुकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रुसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 7999328251, गढ़: अंबे मोटर्स, 9752666969, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57